श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक – 06–07.03.2019 को राज्य के सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र/ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति पंजी के अनुसार –

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र, ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गई। बैठक के क्रम में निम्न निर्देश दिए गए:–

- **अव्यवहृत राशि जमा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना** – समीक्षा के क्रम में सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2016–17 तक सहायक अनुदान मद की वैसी आवंटित राशि जिसका उपयोग अब तक नहीं किया गया है और निकायों के पी.एल./बैंक खाता में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उस राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

2. वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2016–17 जिन नगर निकायों के बैंक/पी०एल० खाता में एक करोड़ से ज्यादा की राशि निष्क्रिय पड़ी रहती है, तो वह किस वर्ष का है एवं उसका शीर्षवार/मदवार रखे जाने के औचित्य प्रतिवेदन के साथ उन्हें अगली मासिक बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया।
3. नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में अनिकासी राशि का मामला लंबित है उसका अनिकासी प्रमाण–पत्र संबंधित कोषागार से प्राप्त कर उसका मूल अनिकासी प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा किया जाए।
4. नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में व्यय के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया है, कैशबुक की

छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा किया जाए।

5. नगर निकाय बीरपुर एवं महुआ के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ बैंक/पी.एल. खाता में संधारित राशि से नल–जल का कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध मे निदेश दिया गया कि उक्त कार्य के विरूद्ध देय भुगतान की राशि रखकर शेष राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कराकर चालान की छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
6. नगर निकाय कसवां के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ पी०एल० खाता में संधारित राशि से 10 योजनाएँ चल रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त कार्य के विरूद्ध देय भुगतान की राशि रखकर शेष राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कराकर चालान की छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगले मासिक बैठक में उपलब्ध कराया जाए।
7. सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि सहायक अनुदान मद से संबंधित 20 विन्दुओं का प्रतिवेदन अद्यतन कर उसे प्रत्येक माह के 25 तारीख तक एम.आई.एस. को भेजा जाए।

- **लंबित ए०सी०/डी०सी० विपत्र** – समीक्षा के क्रम में नगर निकायों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया गया कि जिन नगर निकायों में ए०सी०/डी०सी० विपत्र लंबित है उसका समायोजन कराने का उत्तरदायित्व उसी नगर निकायों का है। इसके लिए नगर निकाय के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि लंबित ए०सी० राशि का डी०सी० विपत्र BTC - 27A प्रपत्र में शीघ्र तैयार कर उसे महालेखाकार (ले०ह०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसका समायोजन कराने हेतु किसी जिम्मेवार कर्मी को प्राधिकृत किया जाए जो महालेखाकार (ले०ह०), बिहार, पटना से सम्पर्क कर उसका समायोजन कराते हुए उससे संबंधित समायोजन पत्र अगली मासिक बैठक में विभाग को उपलबध कराया जाए।

- **लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन** – समीक्षा के क्रम में नगर निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले०प०), बिहार,

पटना को भेजते हुए उसकी प्रति निम्न तिथियों तक विभाग को पुनः उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया हैः—

क्र०	निकाय का नाम	संबंधित तिथि
1	**नगर पंचायत** – अमरपुर – अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 588/2013–14 एवं 236/2016–17, लालगंज – 592/2008–09, मैरवा – 664/2010–11, रफीगंज – 1275/2015–16, पीरो – 443/2008–09, वारसलीगंज – 404/2007–08, मढ़ौरा – 253/2013–14, मीरगंज – 1074/2015–16, मोहनिया – 965/2017–18, **नगर परिषद्** – औरंगाबाद – 207/2006–07, लखीसराय – 533/2014–15	18.03.2019
2	**नगर परिषद्** – हाजीपुर – 795/2008–09, फुलवारीशरीफ – 14/2016–17	15.03.2019
3	**नगर पंचायत** – मेहसी – 1081/2016–17	20.03.2019
3	**नगर पंचायत** – दलसिंहसराय – 288/2016–17, टेकारी – 808/2014–15	25.03.2019
4	**नगर पंचायत**– जनकपुर रोड, – 692/2017–18, 177/2015–16, बेनीपुर – 754/2016–17 **नगर परिषद्** – भभुआ – 1477/2015–16, मोकामा – 614/2009–10, मसौढ़ी – 244/2008–09, अररिया – 163/2011–12, सीतामढ़ी – 95/2001–02, 672/2017–18, सुल्तानगंज – 1316/2015–16, खगौल – 31/2001–02, 605/2006–07, जमुई – 1433/2015–16, DLFA-15/2015–16	31.03.2019
5	**नगर पंचायत** – शाहपुर – 289/2016–17	02.04.2019
6	**नगर पंचायत** – मढ़ौरा – 262/2013–14	15.04.2019
7	**नगर पंचायत** – बरबीघा – 627/2011–12	22.04.2019

- बैठक में नगर पंचायत, दिघवारा के प्रतिनिधि के रूप में लेखापाल द्वारा भाग लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 251/2013–14 से संबंधित संचिका नहीं मिल रही है। इस पर लंबित अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग में समर्पित करने तक लेखापाल का वेतन स्थगित रखने का निदेश दिया गया।

- बैठक में नगर पंचायत, कटैया के प्रतिनिधि के रूप में कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा भाग लिया गया। लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 256/2016–17 एवं 163/2009–10 का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग में समर्पित नहीं करने पर प्रतिवेदन समर्पित करने तक कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रधान सहायक का वेतन स्थगित रखने का निदेश दिया गया।
- बैठक में नगर पंचायत, वैरगनिया के प्रतिनिधि के रूप में लेखापाल द्वारा भाग लिया गया। लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 867/2007–08 एवं 283/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग में समर्पित नहीं करने पर प्रतिवेदन समर्पित करने तक लेखापाल का वेतन स्थगित रखने का निदेश दिया गया।
- बैठक में नगर पंचायत, जनकपुर रोड के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान सहायक द्वारा भाग लिया गया। लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 177/2015–16 एवं 692/2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग में समर्पित नहीं करने पर प्रतिवेदन समर्पित करने तक प्रधान सहायक का वेतन स्थगित रखने का निदेश दिया गया।
- बैठक में नगर पंचायत, शिवहर के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान लिपिक द्वारा भाग लिया गया। लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 42/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग में समर्पित नहीं करने पर उनका वेतन स्थगित रखने का निदेश दिया गया।
- पिछली बैठक की तरह इस बैठक में भी नगर पंचायत, नासरीगंज के प्रतिनिधि के रूप में कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा भाग लिया गया। लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 187/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग में समर्पित नहीं करने पर प्रतिवेदन समर्पित करने तक कम्प्यूटर ऑपरेटर का वेतन स्थगित रखने का निदेश दिया गया।
- बैठक में नगर पंचायत, कोईलवर के प्रतिनिधि के रूप में सहायक लेखापाल द्वारा भाग लिया गया। लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 717/2007–08 एवं 326/2009–10 का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग में समर्पित नहीं करने पर एवं लगातार दो मासिक बैठकों में प्रधान सहायक की अनुपस्थिति के कारण प्रधान सहायक का वेतन स्थगित रखने का निदेश दिया गया।

- बैठक नगर पंचायत, कसवा के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान सहायक द्वारा भाग लिया गया था जिन्हें अगली बैठक के पूर्व तीनों लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
- बैठक में पटना नगर निगम के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान सहायक द्वारा भाग लिया गया, जिन्हें शीघ्र लंबित अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

लोक लेखा समिति से संबंधित लंबित कंडिका

- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2013–14 की कंडिका 5.7 जो मोबाईल कम्पनियों व भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर नगर निगम, कटिहार, नगर परिषद्, मधेपुरा, सिवान एवं बेतिया द्वारा 10 वर्षो से अधिक अवधि की लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5 प्रतिशत के दर पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किए जाने के कारण रु. 18.34 लाख राजस्व की हानि के संबंध में नगर निगमों/परिषदों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।
- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2014–15 की कंडिका 5.10 जो मोबाईल कम्पनियों तथा भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर नगर निगम, बेगूसराय, दरभंगा, नगर परिषद्, औरंगाबाद, किशनगंज, मधुबनी एवं सहरसा द्वारा 10 वर्षो से अधिक अवधि की लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5 प्रतिशत के दर पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किए जाने के कारण रु. 6.33 लाख राजस्व की हानि के संबंध में नगर निकायों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।
- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की लंबित कंडिकाओं की समीक्षा की गई तथा उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा लंबित कंडिका की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध ~~कराया~~ जा सके। उक्त के आलोक में वर्षवार

एवं कंडिकावार लंबित सूची को विभागीय ईमेल के माध्यम से दिनांक–14.01.19 को सभी नगर निकायों को उपलब्ध करा दिया गया है।

- **लेखा मिलान** – सभी नगर निकायों से शीर्षवार प्राप्ति एवं व्यय का ऑकड़ा प्राप्त होने पर विभाग के द्वारा समेकित रूप से महोलखाकार (ले० एवं ह०), बिहार के लेखा में दर्ज ऑकड़ो से लेखा मिलान किया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक माह लेखा मिलान हेतु ऑकड़ों की मांग की जाती है, परन्तु नगर निकायों से अपेक्षित ऑकड़ा प्राप्त नहीं होने के कारण खेद व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अब तक हुए प्राप्ति एवं व्यय का ऑकड़ा शीर्षवार, मदवार एवं टी.भी. नंबर सहित उसकी सत्यापित प्रति प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा लेखा मिलान नहीं होने पर आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- बहुत सारे **नगर पंचायत** – (बहादूरगंज, बखरी, बलिया, बनमनखी, बड़हिया, बिहिया, बोधगया, चकिया, चनपटिया, हरनौत, जगदीशपुर, जयनगर, कहलगॉव, केसरिया, मखदुमपुर, मोतीपुर, नौबतपुर, नवगछिया, निर्मली, रामनगर, शेरघाटी, सिमरीबख्तियारपुर, सुगौली, सुरसंड) **नगर परिषद्** – (अरवल, बाढ़, बांका, बीहट, दानापुर, जहानाबाद, जहानाबाद, मधेपुरा, नरकटियागंज) तथा **नगर निगम** – (आरा, बिहारशरीफ, दरभंगा) के प्रधान लिपिक/कर्मी की अनुपस्थिति पर खेद ब्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि संबंधित कर्मी का माह मार्च, 2019 का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी का मंतब्य मांगे जाने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

01.04.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक – 07/विविध–03/2018 550 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 01.04.19

प्रतिलिपि– सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. इस आशय की सूचना अपने नगर निकायों के कर्मियों/प्रतिनिधियों को देते हुए बैठक की कार्यवाही के आलोक में अनुपालन कराते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया जाए।

01.04.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक – 07/विविध–03/2018 550 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 01-04-19

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 07 एवं प्रशाखा – 07 के संबंधित कर्मी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

01.04.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग